

Disposed

सेवा में,
अंचल अधिकारी
चाणुलिया

विषय :- सीमांकन वाद सं- 78/2023-24 की
आवेदन - शिवाल पाल की सीमांकन प्रतिवेदन

महाराज, आवेदानुसार विशेष विषयक संबंधित
मौजा- बेलवरिया, ग्राम नं- 437, खाला नं- 19, खेसथ
नं- 64, 65 का कुल कृषि 0.04, 0.03 ए. भूमि का सीमांकन
आवेदन पर अंचल कार्यालय सीमांकन वाद सं- 78/
2023-24 के आलोक में निम्नलिखित लिखित दिनांक 26/03/24
की आवेदित खाला परदेवर आवेदक, पांहेरुद्वार
ग्राम प्रधान तथा ग्रामिणों से कृषि तथा आवेदक
से आवेदित भूमि का कागजात मांगा गया उन्हे न
हल खर्च 1964 ई० की फाइनल खतिनाम का कौपी
तथा खाल का कौपी हुआ लगान रसिद दिखाया कि
कागजात अवलोकन उपरान्त खाल खर्च 1960-61 ई०
की फाइनल बकसा के साथ सरपंचान मिलान करते
हुये खेसथ नं 64, 65 का सीमांकन किया गया तथा
सीमा पर निशान दिया गया तथा उपलब्ध सभिक का
दिखा दिया गया। जिसमें खेसथ नं- 64, 65 का
कुल प्लॉट बर के अन्दर आ रहा है जिसमें भाग एक
सुन्दर नदी कुये। यह जमीन संशुद्ध खाल की है
खेसथ नं 64, 65, 66, 67, 68, 69 एक ही खाल की जमीन
है। जिसमें से दो-दो प्लॉट पुर्वजों ने आपसी वारवाट
किया है उसी किशाल से मकान बनाया है इसमें कयवह
वार वारा नहीं है रहा है जिस कारण इसी विवाद हो
रहा है। किसी का नही किसी का है ही और किसी का 150
वर्ग मी है। आपसी वारवाट का सीमा विवाद ही रहा है।

Seen
दि. 25/3/24

दूसरे हस्ताक्षरों से लीगा विवाद नहीं है आपसी
बाह्य कर्तव्य लीगा विवाद है यह आपसी सहमति
से ही विवाद सुलझ सकता है कबों की मजान
पहले ही पसका मजान बना लिया है जिन कारण
एक पायन्ट घर के अन्दर आ रहा है। सीमेंट
शान्तिपूर्ण समाप्त हुआ। अपने ही एक आपसी
सहमतिपूर्ण यत्न बनाया।

इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रति इस तस्मा तथा
सीमेंट डिपॉजिट किया तथा पंचनामा इस प्रतिवेदन
के साथ संलग्न किया गया है
यह प्रतिवेदन कार्यलय का सादर समर्पित।

आपका विश्वास आत्मन

अचल ठगिन

वकील

21/3/2024